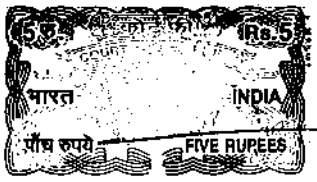

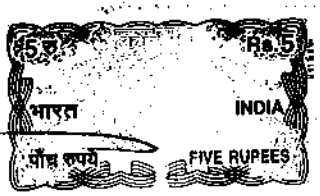

173

न्यायालय माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण क्र. /2019

निगरानी-0349/2019/देवास/भू.रा.

बाबूलाल पिता रामाजी बलाई उम्र 53 साल कृषक निवासी ग्राम देहरिया पेठ तेहसील सोनकच्छ जि.–देवास (म.प्र.)

......पुनरीक्षणकर्ता/प्रतिप्रार्थी

विरूद्ध

1. बापूजी पिता प्यारजी गारी उम्र 83 साल जाति गारी व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम देहरिया पेठ जिला–देवास (म.प्र.)

2. पटवारी मौजा देहरिया पेठ तेहसील सोनकच्छ जिला–देवास (म.प्र.)

......गैरपुनरीक्षणकार

द्वारा आज दि. 05.3.19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19.3.19 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 5.3.19 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण पत्र धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के अधीन {न्यायालय माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्र.754/अपील/2016–17 के अवैध आदेश दिनांक 16/11/2018 के विरूद्ध}

05/03/19

माननीय न्यायालय,

यह कि पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नांकित पुनरीक्षण पत्र गैरपुनरीक्षणकार के विरूद्ध सादर प्रस्तुत है :–

1. यह कि पुनरीक्षगणकर्ता ने माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन में अपील क्र. 754/अपील/2016–17 माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग सोनकच्छ जिला देवास की अपील क्र. 24/अपील/2015–16 में पारित अवैध आदेश दिनांक 23/02/2017 को निरस्त करने के लिये प्रस्तुत की । इस अपील के द्वारा मुल विचारण न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील सोनकच्छ जिला देवास के न्यायालयिन प्रकरण क्र. 147 बी–121/2015–16 में अवैध रूप से पारित आदेश दिनांक 05/01/2016 के द्वारा तहसीलदार न्यायालय के मुल नामान्तरण प्रकरण क्र. 37अ–6/2012–13 दिनांक 11/01/2016 के लम्बित रहते नामान्तरण स्वीकृत करने का अवैध ओदश दिनांक 05/01/2016 को प्रदान किया । तथा माननीय अधिनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय ने अवैध रूप से दिनांक 16/11/2018

निरंतर...2..

(173)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

(205)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी/0349/2019/देवास/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/11/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अत: यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्राहय की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	